शब्द–ब्रह्म
ISSN 2320 – 0871
भारतीय भाषाओं की अंतर्राष्ट्रीय मासिक शोध पत्रिका
17 मार्च 2013

प्रयोजनमूलक हिन्दी के विविध आयाम

तेजाभाई पटेलिया
सहायक प्राध्यापक
एम.एम.चौधरी आर्ट्स कॉलेज, राजेंद्र नगर,
भिलोडा, साबरकांठा (उत्तर गुजरात)

शोध संक्षेप

हिन्दी की प्रयोजनमूलकता की स्वीकृति आज के युग की आवश्यकता है, जिसने हिन्दी के अध्ययन को एक नयी दिशा प्रदान की है। प्रयोजनमूलक हिन्दी अंग्रेजी के फंक्शनल हिन्दी शब्द का पर्याय है, जिसका तात्पर्य है – एक ऐसी विशेष शैली युक्त हिन्दी, जिसका प्रयोग किसी विशेष प्रयोजन के लिए किया जाए। प्रस्तुत शोध पत्र में प्रयोजनमूलक हिन्दी के विविध आयाम पर प्रकाश डाला गया है।

भाषा का वह विशेष रूप जिसका प्रयोग किसी प्रयोजन विशेष अथवा कार्य विशेष के संदर्भ में होता है।

संस्कृत में एक युक्ति है 'प्रयोजनमनुद्दिश्य मन्दोर्णपि न प्रवर्तते अर्थात् प्रयोजन के बिना मूर्ख व्यक्ति भी कोई कार्य नहीं करता। तात्पर्य यह है कि कोई भी कार्य प्रयोजन से जुड़ा होता है और उस कार्य की सिद्धि में प्रयोजन के साथ–साथ संकल्प और प्रतिबद्धता की भावना निहित होती है। इसी कारण हिन्दी में संभवतः कार्यालयीन कामकाम अर्थात इतर व्यवहार में उसके साथ प्रयोजन शब्द स्वतः जुड़ गया और हिन्दी की संवैधानिक स्थिति स्पष्ट होते ही उसकी प्रयोजनमूलकता को नये सिरे से परिभाषित किया जाने लगा।

भाषा के संदर्भ में प्रयोजनमूलकता क्या है ? इस संदर्भ में कहना चाहें तो भाषा का एक मानक रूप उनके अन्य प्रयोगगत रूपों से भिन्न होता है। साथ ही उनका प्रयोग विविध संदर्भों में नहीं बल्कि उसके परिवर्तित रूपों का किया जाता है। भाषा के प्रयोजनमूलक परिवर्तन सामाजिक प्रयोगों से प्रतिबंधित होते हैं। ''भाषा का प्रयोग समाज में होता है, लेकिन समाज के संदर्भ हमेशा एक नहीं होते। प्रयोजन के अनुसार, अभिव्यक्ति के अनुसार, परंपरा के अनुसार समाज परिवर्तन निर्धारित होते हैं। इस दृष्टि से कार्यालय का समाज अलग है, बैंक का दूसरा, कोर्ट–कचहरियों का समाज तीसरा है तो कोई सब्जीबाजा, साहित्य गोष्ठी या डॉक्टरी आदि का समाज चौथा है। विशेष रूप में कहना चाहें तो इन सभी में भाषा का रूप किसी न किसी में एक दूसरे से हटकर है। हिन्दी के संदर्भ में हिन्दी साहित्य और उनकी विभिन्न साहित्यिक विधाएं, संगीत, आभूषणों के बाजारों, सब्जी–कपड़ा बाजारों, सट्टा बाजारों, समाचार पत्रों, फिल्मों, रेडियो, दूरदर्शन, चिकित्सा व्यवसाय, विभिन्न खेलों आदि में प्रयुक्त हिन्दी एक नहीं है। ध्वनि, शब्द, रूप–रचना, वाक्य, मुहावरा आदि की दृष्टि से सभी में छोटा–बड़ा अंतर है। अतः ये सारे हिन्दी के अलग–अलग प्रयोजनमूलक रूप हैं। जिसे प्रयोजनमूलक हिन्दी के दायरे में समेटा जा सकता है।''**1** संक्षेपतः इसमें भाषा की बनावट–संरचना का ही महत्व नहीं, बल्कि उसके प्रयोग–व्यवहार का भी अत्यंत महत्व है। व्यवहार के अलग–अलग क्षेत्रों में अलग–अलग प्रयोजन से हिन्दी का प्रयोग किया जाता है। हिन्दी के उन सभी

अलग–अलग रूपों को ही प्रयोजनमूलक हिन्दी कहते हैं। हिन्दी के ललित और ज्ञानात्मक पक्ष के अध्ययन में भी प्रयोजन निहित है, लेकिन उसकी प्रयोजनीयता का संबंध सीधे रोजी–रोटी से जुड़ता है।

हिन्दी भारतवासियों के दिल और दिमाग की भाषा रही है। किंतु यह भी गलत नहीं कि रोजी–रोटी की भाषा के रूप में पहचान बनाने वाली अंग्रेजी ने साहित्यिक व्यवहारमूलक भाषा होने के कारण हिन्दी के विकास को बहुत अवरुद्ध किया है। व्यवहारमूलक या प्रयोजनमूलक पक्ष की दृष्टि से हम (हिन्दी) अंग्रेजी से बहुत पीछे हैं। ''एक तरफ तो हम चाहते हैं कि हिन्दी के प्रयोगमूलक, व्यवहारमूलक या कामकाजी द्वार खुलें। दूसरी तरफ हम स्वयं निष्क्रिय और अकर्मण्य रहकर निरंतर कार्य करने वालों की आलोचना और दोष–दर्शन करते हुए आलोचक बन बैठते हैं। आज विश्व की दिन–रात हो रही प्रगति में नित्यप्रति हो रही शोध और आलोचना में, समय–समय पर खुल रहे भाषागत तथा भाषा के कार्यान्वयगत आयामों के संदर्भ में हमें युद्ध स्तर पर सक्रिय होना है, तो अंग्रेजी के साथ–साथ जर्मन, फ्रेंच आदि भाषाओं के माध्यम से भी ज्ञान लेना होगा। उनके चिंतन, शोध प्रगति आदि को भी ग्रहण करना होगा।''**2** प्रयोजनमूलक हिन्दी के पक्षधरो को चाहिए कि प्रायोगिक स्तर पर संगोष्ठियां आयोजित करें और उसमें नये शब्दों को स्वीकार करें। दूसरा हिन्दी को स्थापित करने का महत्वपूर्ण उपाय है – प्रशिक्षुओं, प्रतियोगियों, युवा प्रशिक्षणार्थियों आदि के लिए और अधिक सुविधाएं उपलब्ध करायी जाएं।

कोई भी भाषा को जब विश्व भाषा के रूप में ख्याति दिलाना है तो उस भाषा को केवल साहित्य सृजन तक सीमित न रहकर उसी के प्रयोजनमूलक, व्यावहारिक, प्रशासनिक क्षमता के बारे में भी सोचना जरूरी हो जाता है। इस दृष्टि से हिन्दी की बात करें तो आज हिन्दी विकास के पथ पर है। ''हिन्दी भाषा ने इस दिशा में पहले की तुलना में विगत दस–बारह वर्षों में पर्याप्त प्रगति की है। आज व्यावहारिक, सामाजिक विज्ञानों में प्रयुक्त, भाषिक व्यापार एवं वाणिज्य में प्रयुक्त, कार्यालयी प्रशासनिक विधि एवं बैंकों में प्रयुक्त, वैज्ञानिक एवं तकनीकी क्षेत्र आदि में प्रयुक्त हिन्दी भाषा के कई रूप देखने को मिलते हैं। साहित्यिक एवं शिक्षणपरक रूप के साथ–साथ सृजनात्मक रूप भी उपलब्ध है।''**3**

''आज भाषा को जीवंत एवं सर्वव्यापी, स्थायी एवं विकासशील बनाने के लिए उन पक्षों और आयामों से जोड़ने की आवश्यकता पर बल दिया जा रहा है, जो मनुष्यों को सीधे रोजगार से भी जोड़े। 'अनुवाद' इस दिशा में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है, किंतु अनुवाद के साथ ही कामकाजी हिन्दी के संक्षेपण, पल्लवन, प्रारूपण, टिप्पण आदि भाषिक पक्ष भी महत्वपूर्ण स्थान रखते हैं। पत्रकारिता की भाषा, रेडियो की भाषा, समाचार–लेखन, अपठित भाषाओं के लिखित एवं मौखिक रूप, हिन्दी की संरचना एवं अशुद्धि विश्लेषण मानक हिन्दी, देवनागरी लिपि का स्वरूप, हिन्दी की बोलियां–शैलियां आदि भाषिक प्रयोग के अनुभव रूप पर अग्रसर होते हुए भी हम भाषा की इस अधुनातन आवश्यकता की पूर्ति कर सकते हैं।''**4**

आज बहुविध क्षेत्रों में हिन्दी के प्रयोग के द्वार खुल गए हैं और यही कारण है कि आज हिन्दी में समय की मांग के अनुसार विभिन्न क्षेत्रों के विशिष्ट भाषा प्रयोग के अनुरूप प्रयोगमूलक रूप या परिवर्तित रूप विकसित हो गए हैं, जिनमें प्रमुख हैं – बोलचाल की हिन्दी (संगीतशास्त्र, काव्यशास्त्र, राजनीतिशास्त्र आदि) व्यापारी हिन्दी (मीडिया, बाजारों, शेयर बाजारों, सट्टेबाजों आदि)

कार्यालयी हिन्दी, तकनीकी हिन्दी (इंजीनियरी, उद्योग, प्रेस, फैक्टरी) खेलकूद, रेडियो, फिल्म, दूरदर्शन की हिन्दी आदि)।

आज हिन्दी के व्यावहारिक रूप के इस वैविध्य प्रचलन और प्रयोग को देखकर यह सहज ही कहा जा सकता है कि दिल्ली अब दूर नहीं। हिन्दी के इस व्यावहारिक रूप की महत्ता को समझते हुए शब्दावली के निर्माण आदि का कार्य प्रशासनिक हिन्दी का स्वरूप आदि के साथ हिन्दी में कार्य करने के लिए कम्प्यूटर, टेलीप्रिंटर, मुद्रणालय आदि यांत्रिक साधनों की सुविधा प्रदान की जा रही है। जगह–जगह पर हिन्दी शिक्षण योजनाएं चल रही हैं जैसे विदेशियों क लिए हिन्दी शिक्षण की व्यवस्था आदि। राजभाषा संबंधी कानूनी व्यवस्थाएं, केंद्रीय हिन्दी समितियों, हिन्दी सलाहकार समितियों और राजभाषा आदि कानूनी समितियों के गठन में इस दिशा में किए गए महत्वपूर्ण प्रयत्न कहे जा सकते हैं। और इसी के फलस्वरूप ही 'राजभाषा अधिनियम 1963 के संशोधन के बाद सरकारी प्रयोजन के लिए हिन्दी के प्रगामी प्रयोग के लिए गृह मंत्रालय द्वारा दिनांक 6/7/1968 का विस्तृत अनुदेश (और इससे संबंधी 1968 का संसद का संकल्प) आदि का समुचित ढंग से पालन होता रहा है।''

निष्कर्ष

प्रयोजनमूलक रूप के कारण ही हिन्दी भाषा जीवित रही है। आज तक साहित्यिक हिन्दी का ही अध्ययन किया जाता था लेकिन साहित्यिक भाषा किसी भी भाषा को स्थित्यात्मक बनाती है और प्रयोजनमूलक भाषा उसक गत्यात्मक रूप है। गतिमान जीवन में गत्यात्मक भाषा ही जीवित रहती है। आज साहित्य तो संस्कृत में भी है, लेकिन उसका गत्यात्मक प्रयोजनमूलक रूप समाप्त हो गया है। अतः वह मृतप्राय हो गई है। हिन्दी का प्रयोजनमूलक रूप न केवल उसके विकास में सहयोग देगा बल्कि उसके जीवित रखने एवं लोकप्रिय बनाने में भी महत्वपूर्ण यागदान देगा।''6

संदर्भ :

1. प्रयोजनमूलक हिन्दी : डॉ.रामगोपाल सिंह : पृष्ठ 12, पार्श्व पब्लिकेशन अहमदाबाद
2. व्यावहारिक हिन्दी : डॉ.पूरनचंद्र टंडन : पृष्ठ 2, हिन्दी बुक सेंटर, नई दिल्ली
3. प्रयोजनमूलक हिन्दी का अध्ययन : डॉ. सुशीला गुप्ता : पृष्ठ 22, जयभारती प्रकाशन इलाहबाद
4. राजभाषा हिन्दी : डॉ.कैलाशचंद्र भाटिया : पृष्ठ 44, वाणी प्रकाशन, नई दिल्ली